रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 353] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10, 1985/श्रावण 19, 1907
No. 353] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 1985/SRAVANA 19, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार
और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1985

अधिसूचना

सा. का. नि. 644 (अ) :—केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "अधिकरण" से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है।

3. वेतन :—(1) अध्यक्ष तीन हजार पांच सौ रुपए का वेतन और पांच सौ रुपए का विशेष वेतन प्रतिमास प्राप्त करेगा; उपाध्यक्ष और सदस्य क्रमशः तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास और तीन हजार रुपए प्रतिमास प्राप्त करेगा :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है या जो पेंशन और/या उपदान, अभिदायी भविष्यनिधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा निवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो पूर्वोक्त वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन और उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्यनिधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदों, यदि कोई हों, की कुल रकम कम कर दी जाएगी।

4. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :— अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो तीन हजार रुपये या ऊपर का वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के श्रेणी "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

5. सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवा निवृत्ति : (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो अधिकरण में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में था, अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व ऐसी सेवा से निवृत्ति लेगा और किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे आसीन न्यायाधीश की दशा में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अधिकरण में उसकी सेवा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग "घ" के पैरा 11 (ख) (1) के अंतर्गत वास्तविक सेवा मानी जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में यथा उपबंधित सेवा निवृत्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य :—

(1) उसको लागू सेवा निवृत्ति नियमों के अनुसार पेंशन और उपदान प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) अपनी उपार्जित छुट्टी अग्रनीत करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा किन्तु अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व उसको लागू नियमों के अनुसार छुट्टी सम्बलम् यदि कोई हों के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. छुट्टी : (1) अधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी प्राप्त करने का हकदार होगा :

(i) सेवा के प्रत्येक पूरे कलेण्डर वर्ष या उसी किसी भाग के लिए पंद्रह दिनों की दर पर उपार्जित छुट्टी ;

(ii) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की बाबत बीस दिन की दर पर चिकित्सा प्रमाणपत्र या निजी काम के आधार पर आधा वेतन छुट्टी और आधा वेतन छुट्टी के लिए सम्बलम् उपार्जित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी सम्बलम् के आधा के समतुल्य होगा ;

(iii) सदस्य के विवेकानुसार आधा वेतन पर छुट्टी को पूरे वेतन सहित छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु वह चिकित्सीय आधारों पर ली गई हो और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित की गई हो ;

(iv) पद की एक अवधि में एक सौ अस्सी दिनों की अधिकतम कालावधि तक वेतन और भत्तों के बिना असाधारण छुट्टी ।

(2) यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अधिकरण के साथ अपनी कार्य-व्यस्तता के कारण पूर्ण अवकाश का उपभोग करने में असमर्थ है तो वह अवकाश की अनुपभुक्त कालावधि को छुट्टी के लेखे में जोड़ने का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण: इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "अवकाश" से अधिकरण द्वारा माने जाने वाले प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में तीस दिन का अवकाश अभिप्रेत है ।

(3) अधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अपने नाम में जमा उपार्जित छुट्टी की बाबत छुट्टी सम्बलम् के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हकदार होगा परन्तु इस उपनियम और नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन छुट्टी की मात्रा जिसकी नकद रकम प्राप्त की गई है एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं होगी ।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य अधिकरण में पदमुक्त होने की तारीख को प्रवृत्त दरों पर उपनियम (2) के अधीन छुट्टी सम्बलम् पर यथा अनुज्ञेय महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा परन्तु वह ऐसी छुट्टी पर नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का या किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

7. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी : उपाध्यक्ष और किसी सदस्य को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने के लिए, राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी होगा ।

8. पेंशन : (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा, परन्तु ऐसी पेंशन देय नहीं होगी ।

(i) यदि उसने दो वर्ष से कम सेवा की है; या

(ii) यदि उसे अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण में किसी पद से हटाया गया है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा वर्ष या उसके किसी भाग के लिए सात सौ रुपये प्रतिवर्ष की दर पर संगणित की जाएगी और अधिकरण में सेवा वर्ष की संख्या पर ध्यान दिए बिना पेंशन की अधिकतम रकम 3,500 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु इस नियम के अधीन देय पेंशन की कुल रकम ऐसी पेंशन (जिसके अंतर्गत संराशित पेंशन का भाग, यदि कोई है भी) की रकम सहित जो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त की गई है, या जिसको प्राप्त करने के लिए हकदार है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विहित पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी ।

9. भविष्य निधि : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य साधारण भविष्य निधि में अपने विकल्प पर अभिदाय करने का हकदार होगा और उसके ऐसा विकल्प होने की दशा में वह केन्द्रीय भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम के उपबंधों से शासित होगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य था, तो वह ऐसे नियमों से शासित होगा जो अधिकरण में कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व उसको लागू थ ।

10. यात्रा भत्ते : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य दौरा पर या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत अधिकरण में कार्यभार संभालने के लिए या अधिकरण से उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्वघर जाने के लिए की गई यात्रा भी है) यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, व्यक्तिगत माल असबाब और अन्य समान चीजों के परिवहन के लिए उसी मापमान और दरों पर जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियम, 1956 में विहित है, हकदार होगा ।

11. छुट्टी यात्रा रियायत: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य उन्हीं दरों और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर जो 3000 रुपये या उससे ऊपर का वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के श्रेणी "क" अधिकारी को लागू हैं, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा ।

12. वास सुविधा : (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति साधारण पूल वास सुविधा से दिल्ली में पदस्थ भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय टाइप के शासकीय निवास का केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित दरों पर अनुज्ञप्ति फीस के संदाय किए जाने पर उपयोग करने का हकदार होगा ।

(2) जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण पूल वास सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है । या वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे उसके वेतन के पंद्रह प्रतिशत के बराबर रकम का भत्ता प्रतिमास संदत्त किया जा सकेगा ।

(3) जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि के परे शासकीय निवास का अधिभोग करता है तो वह यथास्थिति अतिरिक्त अनुज्ञाप्ति फीस या वास्तविक किराये का संदाय करने का दायी होगा और उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव को लागू नियमों के अनुसार बेदखल कराया जा सकेगा ।

13. सवारी सुविधा: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य भारत सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार सरकारी और निजी प्रयोजनों के लिए की गई यात्राओं के लिए स्टाफ कार सुविधा का हकदार होगा।

14. चिकित्सा उपचार की सुविधाएं: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम नियम, 1954 में यथा उपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसे स्थानों में जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियमों में यथा उपबंधित सुविधाओं के हकदार होंगे।

15. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीशों की सेवा शर्तें: इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश अधिकरण अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप नियुक्त किया जाता है तो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए नियमों में यथा अन्तर्विष्ट सेवा शर्तें उस पर लागू होंगी।

16. अवशिष्टीय उपबंध: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य की सेवा की शर्तें जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध उपलब्ध नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव को उस समय नियमों और आदेशों द्वारा अवधारित की जाएंगी।

17. नियमों को शिथिल करने की शक्ति: केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल करने की शक्ति होगी।

[सं. ए-12018/1/85-ए. टी०]

आर. महादेवन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 10th August, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 644 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) "Tribunal" means the Central Administrative Tribunal.

3. Pay: (1) The Chairman shall receive a pay of rupees three thousand five hundred plus a special pay of rupees five hundred per mensem; a Vice Chairman and a Member shall receive a pay of rupees three thousand five hundred per mensem and rupees three thousand per mensem, respectively:

Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and/or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness allowance and city compensatory allowance: The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Grade 'A' Officers of the Central Government drawing a pay of rupees three thousand or above.

5. Retirement from parent service on appointment as Member: (1) The Chairman, a Vice-Chairman or a Member who, on the date of his appointment to the Tribunal, was in service under the Central Government or a State Government, shall seek retirement from such service before his appointment to the Tribunal and in the case of a sitting Judge of a High Court who is appointed as Chairman, a Vice-Chairman, his service in the Tribunal shall be treated as Actual service within the meaning of para 11 (b) (i) of Part 'D' of the Second Schedule to the Constitution.

(2) On such retirement as is provided for in sub-rule (1), the Chairman, Vice-Chairman and Member:

(i) shall be entitled to receive pension and gratuity in accordance with the retirement rules applicable to him;

(ii) shall not be allowed to carry forward his earned leave but shall be entitled to receive cash equivalent to leave salary, if any, in accordance with the rules applicable to him prior to his retirement.

6. Leave: (1) A person, on appointment in the Tribunal as a Chairman, Vice-Chairman or a Member shall be entitled to leave as follows:

(i) earned leave at the rate of fifteen days for every completed calendar year of service or a part thereof

(ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;

(iii) leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the Member, provided it is taken on Medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority

(iv) extra-ordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred eighty days in one term of office.

(2) If the Chairman, a Vice-Chairman or a Member is unable to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tribunal, he shall be entitled to add the unenjoyed period of vacation to the leave account.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule "vacation" means vacation of thirty days in each calendar year observed by the Tribunal.

(3) On the expiry of his term of office in the Tribunal, the Chairman, the Vice-Chairman or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit provided that the quantum of leave encashed under this sub-rule and sub-rule (2) of rule 5 shall not exceed 180 days.

(4) The Chairman, the Vice-Chairman or other Members shall be entitled to receive the dearness allowance as admissible on the leave salary und sub-rule (2) at the rates in force on the date of the relinquishment of the office in the Tribunal;

Provided that he shall not be entitled for the city compensatory allowance or any other allowance on such leave.

7. Leave sanctioning authority: The Chairman shall be the authority competent to sanctioning leave to the Vice-Chairman and a Member and the President shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

8. Pension: (1) Every person appointed to the Tribunal as the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to pension provided that no such pension shall be payable:

(i) if he has put in less than two years of service; or

(ii) if he has been removed from an office in the Tribunal under sub section (2) of section 9 of the Act.

(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees seven hundred per annum for each completed year of service or a part thereof and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum amount of pension shall not exceed rupees three thousand five hundred per annum:

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, (if any) drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of the High Court.

9. Provident Fund: The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and in case of his so opting shall be governed by the provisions of the Central Provident Fund (Central Services) Rules:

Provided that if the Chairman, a Vice-Chairman or a Member was Judge of a High Court or was a Member of an *All India Service* immediately before his joining the Tribunal, he shall be governed by the rules which were applicable to him immediately before joining the Tribunal.

10. Travelling Allowances: The Chairman, a Vice-Chairman or other Member while on tour as on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are prescribed in the High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956.

11. Leave Travel Concession: The Chairman, a Vice Chairman or other Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to Grade 'A' Officer of the Central Government drawing a pay of rupees three thousand or above.

12. Accommondation: (1) Every person appointed to the Tribunal as a Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the use of an official residence from the general pool accommendation of the type admissible to an officer of the rank of a Secretary to the Government of India stationed at Delhi on the payment of the licence fee at the rates prescribed by the Central Government from time to time.

(2) When a Chairman, a Vice-Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the general pool accommodation referred to in sub-rule (1) he may be paid every month an allowance of an amount equal to fifteen percent of his pay.

(3) Where the Chairman, a Vice-Chairman or a Member occupies an official residence beyond the permissible period he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and liable to eviction in accordance with the rules applicable to Secretary to the Government of India belonging to the Indian Administrative Service.

13. Facility of conveyance: The Chairman, Vice Chairman and a Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the Staff Car Rules of the Government of India.

14. Facilities for Medical Treatment: The Chairman, Vice-Chairman or other Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Service Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Scheme is not in operation, the Chairman, Vice-Chairman and members shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services Medical Attendance Rules.

15. Conditions of service of sitting Judges of the High Court appointed as Chairman or Vice-Chairman: Notwithstanding anything contained in these rules, where a sitting judge of a High Court is appointed as the Chairman or a Vice-Chairman of the Tribunal the service conditions as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 and the rules made thereunder shall apply to him.

16. Residuary provision: The Conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman or other Member for which no express provision is available in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Government of India belonging to the Indian Administrative Service.

17. Powers to relax rules: The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No. A-12018/1/85-AT]
R. MAHADEVEN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985